श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(बी-4 कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016)

एफ.1(50)/ल.ब.स.रा.सं.वि./सा.प्र. /2025-26/1567 दिनांक: 30.12.2025

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या D.O.No.2-17/2025(CPP-II)(C.162595) दिनांक 18.12.2025 को ई-मेल (उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न पत्र) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 नवंबर, 2025 को जारी आदेश के संदर्भ में है, जिसमें भारत सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को आवारा कुत्तों के प्रवेश से सुरक्षित करने के लिए कड़े और समयबद्ध निर्देश जारी करने एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का उल्लेख है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं:-

क्र.सं.	विवरण	संयोजक/नोडल अधिकारी तिथि, समय एवं स्थान
1.	**नोडल अधिकारी** परिसर की देख-रेख और स्वच्छता के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि आवारा कुत्ते परिसर में न तो प्रवेश करें और न ही आश्रय बनाये। नोडल अधिकारी का विवरण प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा और संबंधित नगर निकाय/प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।	प्रो० मार्कण्डेय नाथ तिवारी (नोडल अधिकारी)
2.	**जागरूकता सत्र** कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी, उस स्थिति में प्राथमिक उपचार, तत्काल सूचित करने और जानवरों के प्रति पूर्व-सतर्कता सम्बन्धी व्यवहार के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया जायेगा।	डॉ स्वाति त्यागी (विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र) दिनांक: 31.12.2025 समय: मध्याह्न 12:00 बजे स्थान: योगसभागार
3.	**दिशा-निर्देशों का व्याख्यान** कुत्ते के काटने की घटनाओं को रोकने, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सम्बन्धित व्याखान दिया जायेगा। (दिशा-निर्देश कार्यालय आदेश के साथ संलग्न)	

कृ.पृ.उ. 02

4.	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWsD8287wnxjUm1JddDtpcWMK-mpjHtnpW9Zia0S1SwFk5SQ/viewform?usp=dialog	नोडल अधिकारी, ऑनलाइन लिंक के माध्यम से कार्यक्रम के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें
5.	विश्वविद्यालय के खेल परिसरों/ मैदानों का प्रबंधन करने वाली समिति यह सुनिश्चित करेगी कि खेल परिसरों/ मैदानों की देख-रेख करने वाले कर्मियों को विशेष रूप से चौबीसों घंटे आवारा कुंत्तों के प्रवेश या निवास के विरुद्ध निगरानी रखने का काम सौंपा गया है।	श्री ओमकेश्वर तिवारी, केयर टेकर (अभियांत्रिकी विभाग)

कार्यक्रम के सुचारू सञ्चालन हेतु नोडल अधिकारी बैनर इत्यादि छपवाने हेतु स्वयं अग्रिम लेंगे। यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के सूचनार्थ।
2. अभियांत्रिकी विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कार्यक्रम स्थल पर विद्युत् उपकरण एवं बैठने की उचित व्यवस्था करें|
3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबससाइट पर प्रदर्शित करें तथा whatsapp/sms के माध्यम से समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सूचित करें| कार्यक्रम स्थल पर फ़ोटोग्राफी/ विडियोग्राफी की उचित व्यवस्था करें।
4. निजी सचिव- कुलपति/ कुलसचिव/ वित्ताधिकारी
5. समस्त सूचना पट्ट- छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ
6. सम्बन्धित पंजिका

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)